न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा/71/2017 तारीख रजु 27.06.2017

उनवान

1 आम जनता जाटव समाज पटटी नारायणपुर पंडा का पुरा जरिये पंचगण जाटवसमाज तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———वादीगण(04)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर
2 लेण्ड हॉल्डर तहसील हिण्डौन जिला करौली।

————प्रतिवादीगण(02)

उपस्थितिः—

वादी की ओर से :— श्री रघुवीरसिंह एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :— कोई नहीं

निर्णय

दिनांक 19.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक दावा बावत् घोषणा दुरूस्ती स्थित ग्राम पटटी नारायणपुर तहसील हिण्डोन के खसरा न. 604 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार—बार आवाज दिलाई गई । पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 71/2017 आम जनता जाटव समाज बनाम राजस्थान सरकार अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2020.08.07 18:51:36 IST
Reason: SelfAttested